अध्याय-प्रथम

शोध-परिचय

Regional Institute of Education
LIBRARY
Bhopal

अध्याय- प्रथम

शोध-परिचय

1.1 प्रस्तावना :-

शिक्षा मानव की समस्त स्वाभाविक शक्तियों का पूर्ण प्रगतिशील विकास है, अतः शिक्षार्जन करने वाला सामान्य बालक हो या विकलांग, उनको शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर प्राप्त होना न्याय संगत है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 (नीति निर्देशक) तत्व में प्रावधान किया गया है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों की अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् इस उद्देश्य की प्राप्ति के प्रयास चल रहे हैं, परन्तु आज प्राथमिक शिक्षा के सर्वे व्यापीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति ही आंशिक रूप से हो पाई है। इसके लिए अनेक कारण उत्तरदायी है, जिनमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है, विकलांग बालकों की शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का अभाव विश्व जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग विकलांग व्यक्तियों का है। विश्व में कुल विकलांगों का आठवां हिस्सा भारत में है।

इस प्रकार विकलांग वर्ग का प्रभाव आर्थिक व सामाजिक रूप से समाज पर पड़ता है। विकलांग वर्ग भी समाज का अभिन्न अंग है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि विकलांग बच्चों को उन्नति के पर्याप्त अवसर दिए जायें ताकि समाज व राष्ट्र उन्नति में उनका भी सहयोग प्राप्त हो सके।

कोठारी आयोग (1964-66) के अनुसार विकलांग बालक को दी जाने वाली शिक्षा का प्रमुख कार्य है- इसे उस सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण से सामंजस्य करने के लिए तैयार करना जिसका निर्माण सामान्य व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए हुआ है। अतः यह आवश्यक है कि विकलांग बालकों की शिक्षा सामान्य शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग है।

विकलांग वर्ष

सन् 1981 को संयुक्त राष्ट्रसंघ ने अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष घोषित किया था। विकलांगों की आवश्यकताओं व समस्याओं की गहनता एवं विस्तार को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1981 को विकलांगों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के हित में सरकार व समाजसेवी संस्थाओं द्वारा अनेक योजनाओं व कल्याणकारी कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में 'समानता के लिए शिक्षा' अध्याय में विकलांग बच्चों और सामान्य बच्चों की शिक्षा के एकीकरण की आवश्यकता पर बल दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत सामान्य बालकों व विकलांग बालकों के लिये किये गये प्रावधान का वर्णन किया गया। "जो बच्चे विकलांग हों या विक्षिप्त भावनाओं वाले हों या जिनका मानसिक विकास कम हुआ हो, उनको विशेष उपचार,

शिक्षा पुनः स्थापना और देखभाल की सुविधायें प्रदान की जायेंगी ।"

राष्ट्रीय शिक्षा में बालकों व विकलांग बालकों के लिये प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद ने मानववादी आदर्शों की पुनः स्थापना करने का निश्चय किया है। अनुमानतः 5 प्रतिशत विकलांग बच्चे ही विशेष विद्यालयों में शिक्षा एवं रोजगार हेतु सुविधायें पाते हैं, अतः इस नीति के अनुसार इन्हे सामान्य बालकों के साथ सहभागी के रूप में समन्वय करके इन्हें सामान्य विकास के लिये तैयार करना है, जिससे वह "शिक्षा की मुख्यधारा में सभी के साथ तैर सकें"।

1.2 विशेष विद्यालयों में शिक्षा :-

- ➢ जिला स्तरों पर विशेष विद्यालय स्थापित करना होगा। संयुक्त विशेष विद्यालयों में भिन्न-भिन्न रूप से विकलांग बच्चों को भिन्न-भिन्न विभागों, समूहों, कक्षाओं मे शिक्षा का प्रावधान करना होगा। विशेष विद्यालय में एक व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र का विकास करना होगा।
- ➢ लड़कों और लड़कियों के लिये पृथक-पृथक छात्रावास की व्यवस्था करना। बाल-छात्रावास में 40 छात्रों की तथा बालिका छात्रावास में 20 बालिकाओं की क्षमता होनी चाहिए।
- ➢ आठवीं पंचवर्षीय योजना में उप जिला स्तर पर अन्य 5,000 विशेष विद्यालय खोले जाने का प्रावधान है, ताकि विद्यालयों की कुल संख्या लगभग 7,500 तक हो सके। इन विद्यालयों की संख्या नवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तक 10,000 बढ़ानी होगी।
- ➢ विशेष विद्यालयों की स्थापना राज्य द्वारा कार्यान्वित एक केन्द्रीय योजना हो।
- ➢ विकलांग बच्चों के लिये विशेष शिक्षकों तथा व्यवसायिक शिक्षकों को मूल वेतन में 20 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त विशेष वेतन दिया जाए।
- ➢ शिक्षकों के अतिरिक्त विकलांग बच्चों के मूल्यांकन और पुनर्वास के कार्य हेतु प्रत्येक जिले में 400 मनोवैज्ञानिक और कम से कम दो चिकित्सकों की विशेष रूप से रखने की आवश्यकता होगी। विकलांग बच्चों के मूँल्याकन का कार्य करने के लिये उपलब्ध होने पर वर्तमान सलाहकार सम्पर्क को 4-6 सप्ताह का सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जाए। इसी प्रकार चिकित्सा कर्मचारियों के लिये दो सप्ताह का अनुस्थापन कार्यक्रम चलाया जाए। इसके अतिरिक्त शारीरिक चिकित्सक, व्यावसायिक चिकित्सक, वाम चिकित्सक जैसे अन्य स्टॉफ की आवश्यकता होगी।
- ➢ स्वास्थ्य मंत्रालय और कल्याण मंत्रालय व्यावसायिकों के प्रशिक्षणार्थ कार्यक्रम विकसित व समन्वित करें। इस कार्य के लिये भारतीय पुनर्वास परिषद के माध्यम से समन्वित प्रयास किये जाये।
- ➢ इन विशेष विद्यालयों की पाठ्यचर्या की विशिष्ट समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए संशोधित करना होगा।

- ➢ विकलांग बच्चों के लिये परीक्षा में लचीलापन अनिवार्य है। शैक्षिक मूल्यांकन के लिये इन विद्यालयों को मूल्यांकन- दिग्दर्शिकायें एवं उपकरण उपलब्ध कराने होंगे। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के पास इस प्रकार के उपकरणों के विकास की प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञ हैं तथा राष्ट्रीय संस्थानों के पास विकलांगता के विशेषज्ञ हैं। अतः वे इस सामग्री के उत्पादन में सहयोग दें।
- ➢ विशेष शिक्षा में प्रौद्योगिकी के प्रयोग की और ध्यान देना होगा। इलेक्ट्रॉनिक विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा कल्याण मंत्रालय विकलांगों के लिये सीखने के अवसर में सुधार के लिये ऐसी सामग्री तैयार करने में सहयोग दें। *उदाहरणार्थ :-* अन्धों के लिये संगणकों, लिपियुक्त टेलीविजन तथा वीड़ियों आदि बनाए जाने की आवश्यकता है ताकि विकलांग व्यक्ति भी अन्य बच्चों के उपलब्ध अवसरों का उपयोग कर सकें।

1.3.0 विकलांगता के प्रकार

विकलांगता कई रूपों में मानी जाती है, विकलांग बालक दूसरे विकलांग बालकों से भिन्न ही नहीं होते अपितु कार्य करने की क्षमता, ग्रहण शक्ति तथा रूचि की दृष्टि से भी अन्य विकलांग बालकों से भिन्न भी होते है। सामान्य रूप से अन्य विकलांग बालकों से भिन्न भी होते है। सामान्य रूप से विकलांगता के निम्नलिखित मुख्य प्रकार होते हैं

- दृष्टि विकलांगता
- मानसिक मन्दता विकलांगता
- श्रवण विकलांगता
- अधिगम विकलांगता
- शारीरिक विकलांगता
- वाणीदोष वाले बालक

1.3.1 दृष्टि विकलांगता

यदि किसी व्यक्ति दृष्टि योग्यता 6/60 मीटर या इससे कम हो, सभी उपचारात्मक उपायों के बाद तो वह व्यक्ति दृष्टि विकलांग कहलायेगा। यदि किसी व्यक्ति की क्षेत्रीय दृष्टि 20 अंश कोण या इससे कम हो, सभी उपचारात्मक उपायों के बाद तब वह व्यक्ति दृष्टि विकलांग कहलायेगा, दृष्टि विकलांग व्यक्ति में यह दोनों कमियाँ भी हो सकती हैं या दोनों में से एक होने पर भी वह दृष्टि विकलांग कहलायेगा।

1.3.2 मानसिक मन्दता

शब्द का प्रयोग मानसिक न्यूनता वाले उन सभी बालकों के लिये प्रयोग किया जाता है जो कि घर समाज तथा विद्यालय की परिस्थितियों के साथ अपना अनुकूलन करनें में असमर्थ होते हैं।

1.3.3. श्रवण विकलांगता

ऐसी शारीरिक निर्योग्यता है जो बालक को मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा शिक्षा ग्रहण करने में बाधा उत्पन्न करती है, कानों के द्वारा सुनने में बाधा से उत्पन्न अयोग्यता वाले व्यक्ति विशेष को श्रवण विकलांग कहा जाता है।

1.3.4 अधिगम विकलांगता

ऐसे बच्चे जिनकी बुद्धि-लब्धि सामान्य या सामान्य से अधिक होती है। जिनमें किसी प्रकार का ज्ञानेन्द्रिय दोष नहीं होता है, किसी प्रकार का सांवेगिक असन्तुलन नहीं होता है, लेकिन जिनकी क्षमता में और उपलब्धि में अन्तर होता है तथा जिनको लिखनें, पढ़नें, अंक गणित समझने में तथा वर्तनी में कठिनाई होती है।

1.3.5 शारीरिक विकलांगता

किसी बालक की ऐसी अवस्था को दर्शाती है जिसमें किसी भी प्रकार की शारीरिक निर्योग्यताओं के कारण वह औसत बालक की भाँति स्कूल के कार्यकर्ताओं में विशेष उन्नति नहीं कर पाता है।

1.3.6 वाणी दोष वाले बालक

जिन बच्चों की भाषा तथा बोलने में सामान्य दोष होता है, उन्हें वाणीदोष वाले बालक कहते हैं। ऐसे बच्चे शब्दों या वाक्यों का ठीक तरह से उच्चारण नहीं कर पाते हैं।

1.4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं विकलांगता

भारतीय शिक्षा के इतिहास में प्रथम अवसर है जबकि राष्ट्र की शिक्षा सम्बन्धी नीतियों में विकलांग शिक्षा का स्पष्ट महत्व दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रतिवेदन में कहा गया है कि विकलांग बच्चों को शिक्षा देने का उद्देश्य यह होना चाहिए कि वे पूरे समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें। उनकी उन्नति भी आम आदमी की तरह से हो। वे आत्मविश्वास के साथ जिन्दगी जियें।

शिक्षा नीति में विकलांग बच्चों के लिये निम्न कार्यक्रम सुझाए गये हैं।

1. गम्भीर रूप से विकलांग लगभग 20 लाख बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिये 150 से 200 बच्चों तक प्रति स्कूल दाखिले वाले 10,000 विशेष स्कूलों की आवश्यकता होगी, क्योंकि विशेष स्कूलों में शिक्षा बेहद महंगी है। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इन स्कूलों में केवल उन्हीं बच्चों को दाखिल किया जाएगा जिनकी जरूरतें सामान्य, स्कूलों में पूरी नहीं की जा सकती हैं।
2. विकलांग की शिक्षा के लिये 1990 तक अन्य बच्चों (6 से 11 वर्ष) तथा 1995 तक (6 से 14 वर्ष) के लिये प्राथमिक शिक्षा का सर्व सुलभीकरण किया जायेगा। इसके लिये युद्ध स्तर पर प्रयत्न की जरूरत होगी। क्योंकि इस समय इसमें शामिल होने वाले बच्चों की संख्या 5 प्रतिशत से अधिक नहीं है और शैक्षिक सुविधायें प्रदान करने के लिये अधिक मात्रा में संसाधनों की जरूरत है।

3. सामान्य स्कूल पद्धति में प्रशासकों तथा शिक्षकों के लिये समर्थन कार्यक्रम आयोजित करना।

4. बच्चों के इस वर्ग की देखभाल करने वाले शिक्षकों के लिये पर्यवेक्षी सेवाएँ प्रदान करने हेतु राज्य शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.ई.आर.टी) आदि स्थानों पर विशेषता का विकास।

5. विकलांग बच्चों की देखभाल में वैकल्पिक अध्ययन सामग्री, शिक्षक पुस्तिका का विकास तथा मार्गदर्शन का प्रावधान।

6. सामान्य स्कूलों में अतिरिक्त उपकरण प्रदान करना। व्यावसायिक पूर्व प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को अनुकूल बनाना।

7. विकलांगता के मूल्यांकन के लिये जिला स्तर पर मनोवैज्ञानिक सेवाओं का विकास।

8. प्रोत्साहन सहित इन व्यवस्थाओं का प्रावधान करना

   - साधन तथा उपकरणों की व्यवस्था
   - परिवहन भत्ते (50 प्रतिशत रूपये प्रतिमास) की अदायगी के लिये पर्याप्त व्यवस्था।
   - ग्रामीण क्षेत्र में उस संस्था को जिसमें कम से कम 10 विकलांग बच्चें हों, स्कूल शिक्षा रिक्शा खरीदने के लिये पूँजीगत लागत की व्यवस्था।
   - उन स्कूलों में जहाँ कम से कम 10 विकलांग बच्चें दाखिल हैं, स्कूल भवनों में वस्तु, शिल्प, व अवरोधों को दूर करना।
   - निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें तथा अतिरिक्त सामग्री मुहैया करना जैसे कि अनुसूचित जन जातियों के बच्चों को दी जाती है।
   - स्कूल में शिक्षा के लिये शिशु कन्टों में इन बच्चों की तैयारी के लिये व्यवस्था करना।

9 केन्द्र द्वारा प्रायोजित विकलांगों के लिये समेकित शिक्षा योजना के प्रति राज्य सरकार की प्रतिक्रिया बहुत उत्साह जनक नहीं रही है, अन्य बातों के साथ-साथ इस विशेष वर्ग के लिये प्राथमिक शिक्षा के सर्व सुलभीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये इस योजना के कार्यान्वयन की गति तेज करने हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय को यह मामला राज्यों से तय करना होगा।

10 राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुये विकलांगों के लिये समेकित शिक्षा की चालू योजना में संशोधन की जरूरत है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को इस योजना के पुनःनिरीक्षण हेतु तुरन्त एक समिति स्थापित करनी होगी और इसका संशोधन करना होगा।

11 राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने विकलांगों के व्यावसायीकरण के लिये कुछ बातें प्रस्तावित की हैं। वास्तव में विकलांग बच्चों की व्यावसायिक शिक्षा का अत्यन्त ही महत्व है, क्योंकि उचित व्यावसाय के अभाव में वे दूसरे के लिये बोझ बन सकते हैं। व्यावसायिक शिक्षा से विकलांगों का पुनर्वास होगा।

1.5 राष्ट्रीय निर्देश या सर्वेक्षण संगठन के द्वारा

(अक्टूबर 1973, जून 1975) में भारत वर्ष में शारीरिक अपंगता के विभिन्न श्रेणियों में 1000 जन संख्या पर प्राकृतिक रूप से विकलांगता शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार आंकी गयी

विकलांगता	**शहरी क्षेत्र**	**ग्रामीण क्षेत्र**
अन्धे	0.51	1.44
बहरे	0.42	0.93
गूँगे	0.31	0.68
लंगड़े	0.48	1.07
अपंग	0.76	1.19
कुल योग	**2.33**	**4.93**

1981 की जनगणना के अधार पर विकलांगों की संख्या :-

भारत एक ऐसा देश है जहाँ पहली बार 1981 में विकलांग व्यक्तियों की जनगणना की गई थी, जिसके अनुसार देश में 4.78 लाख पूर्णतः अन्धों, 3.64 लाख पूर्णतः अपंग एवं 2.76 लाख पूर्णतः गूँगों की संख्या थी। इसमें असम राज्य की संख्या शामिल नहीं की गयी थी।

1981 की जनगणना में प्रदेशवार विकलांगों की जो गणना की गयी थी, उसकी स्थिति निम्न प्रकार से थी

उत्तर प्रदेश में पूर्ण अन्धे सबसे अधिक थे। (93,618) उससे कम मध्य प्रदेश में (53,451) थी। राजस्थान (46,465), आँध्रप्रदेश (39,902), बिहार (39,719), महाराष्ट्र(36,964), पंजाब और हरयिाणा में (9.047) और (9,650)पूर्ण अन्धे थे।

डी.एस. मेहता- " हेण्डबुक ऑफ डिसेबल्ड इन इंडिया" एलाइड पब्लिशर्स, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, बैंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद प्रथम संस्करण (1983) पृ. 31 से ।

पूर्ण अपंगता उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक प्रदेश थी (41,502) उसके बाद बिहार में (35,232), मध्यप्रदेश (34,228), पश्चिम बंगाल (34,129), गुजरात (32,386), पंजाब और हरियाणा में (6,389) तथा 4,828 थी।

पूर्णतः गूँगे की संख्या आंध्रप्रदेश में सबसे अधिक थी (30,580), उससे कम उत्तर प्रदेश में (29,439) थी, तमिलनाडु में (28,128) गुजरात में (23,748) तथा महाराष्ट्र में (19,863) थी ।

1981 में ही आयु वर्ग और विकलांगता के स्वरूप के अनुसार विकलांगों की संख्या का निर्धारण किया जिसे निम्न सारणी द्वारा समझा जा सकता है ।

1981 में आयु वर्ग और विकलांगता के स्वरूप के अनुसार विकलागों की संख्या

विकलांगता	0-4		5-14		15-59		60+1		कुल आयु		
	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
वी.एच	2359	4554	92351	34268	693182	171500	2045483	355837	2856575	566159	7422734
एच.एच	सर्वेक्षण में		439368	96107	1462450	244680	916857	202577	2818675	543344	3262039
एस.एच	नहीं लिया गया हे।		575096	168975	688381	199142	99431	24145	1362914	392262	1755176
एल.एच	235077	98366	945900	282806	2094432	500714	913019	192302	4238428	1074138	5312616
योग	310836	102920	2052715	582156	4938451	1116036	3974790	774861	11276592	2575973	13852565

टिप्पणी :-1 उन्नीसवें तथा अठ्ठाइसवें राष्ट्रीय निदर्श सर्वेक्षण और 1983 के जनसंख्या सांख्यिकीय पत्र दो में, कुल जनसंख्या में दिए गए प्रचलित आंकड़ों पर आधारित।

टिप्पणी :-2 इसमें मानसिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को नहीं लिया गया हैं। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि तिरसठ लाख लोग मानसिक पिछड़ेपन से ग्रस्त है।

सितम्बर, 1990 के सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 1 करोड़ 20 लाख विकलांग हैं जिनमें 26 लाख 4 से 15 आयु वर्ग के हैं। प्रति वर्ष 17 लाख मानसिक विकलांग बालकों की संख्या उनमें जुड़ती जायेगी। वर्तमान में 26 लाख विकलांग बालकों में से 12 लाख शैक्षिक क्षमता की दृष्टि से विकलांग हैं, 114 लाख बोली संबंधी बाधा से ग्रस्त हैं तथा 12 लाख नेत्रहीनता के शिकार हैं।

गुजरात राज्य के सभी जिले के विकलांग बालकों वर्गानुसार संख्या सन - 2004

तालिका क्रमांक -1

क्र.	गुजरात के जिले	दुष्टिहीनता विकलांग बालक	श्रवण विकलांग बालक	अस्थि विकलांग बालक	मानसिक विकलांग बालक	बहु विकलांग बालक	कुल योग
1	अहमदाबाद	927	341	1063	1220	0	3551
2	अहमदाबाद संस्थान	1342	74	304	84	1	1805
3	अमरेली	574	276	1557	974	93	3474
4	आनंद	924	550	1076	1030	0	3580
5	बनासकाठा	1299	812	2800	1669	241	6821
6	भरूच	239	157	653	516	92	1663
7	भावनगर	583	566	1101	836	0	3086
8	दाहोद	799	362	1845	495	35	3536
9	डांग	143	125	173	106	143	690
10	गाँधीनगर	447	180	768	964	106	2465
11	जामनगर	674	131	671	937	1	2414
12	*जूनागढ़*	*775*	*491*	*1532*	*1326*	*148*	*4272*
13	खेड़ा	1633	619	1298	1276	37	4863
14	कच्छ	509	347	1078	781	65	2780
15	मेहसाना	520	252	1300	848	0	2920
16	नर्मदा	210	85	271	140	0	706
17	नवसारी	336	167	535	568	6	1612
18	पंचमहाल	789	435	1352	774	63	3413
19	पाटन	713	276	1019	610	61	2679
20	पोरबंदर	126	58	186	193	41	604
21	राजकोट	827	174	868	848	152	2869
22	राजकोट संस्थान	127	4	223	77	5	436
23	साबरकाठा	833	477	1342	1318	83	4053
24	सूरत	573	357	986	676	133	2715
25	सूरत संस्थान	121	56	157	107	3	444
26	सुरेन्द्र नगर	1000	424	1430	1304	0	4158
27	बड़ोदरा	843	477	1318	983	0	3621
28	बड़ोदरा संस्थान	173	38	242	219	0	672
29	वलसाड़	387	198	590	415	34	1624
	कुल योग	**18,446**	**8,509**	**27,738**	**21,294**	**1,543**	**77,526**

गुजरात राज्य के सभी के विकलांग बालकों के वर्गानुसार नामांकन संख्या - 2004

ग्राफ -1

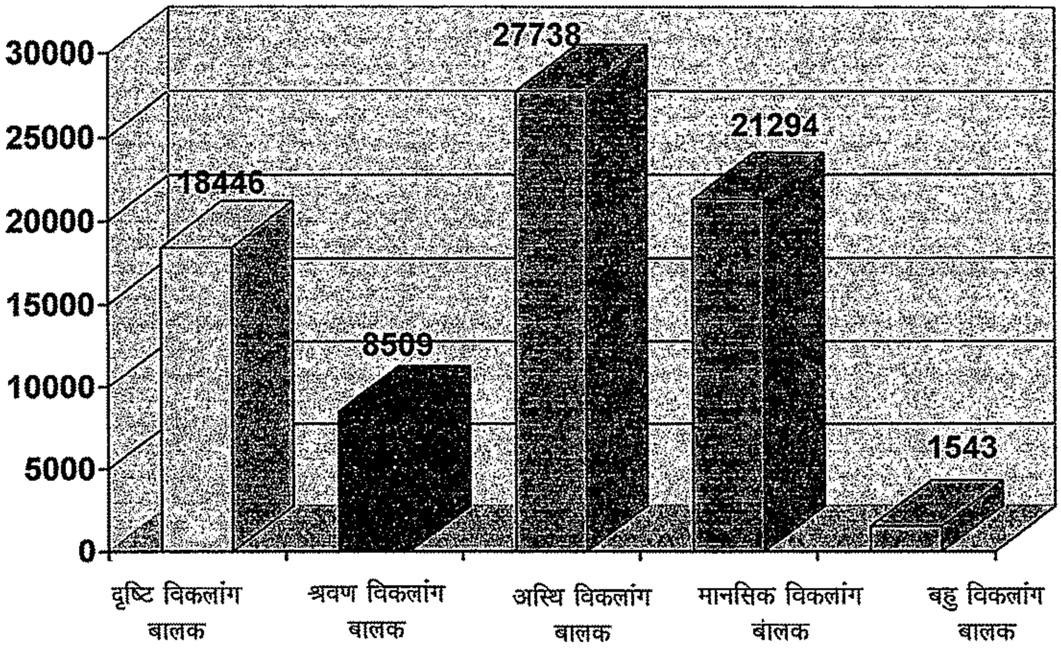

प्रस्तुत ग्राफ की सहायता से गुजरात राज्य में विकलांग बालकों की जानकारी दर्शायी गयी है। गुजरात राज्य के विकलांग बालकों का कुल योग 77,526 है।

ग्राफ से स्पष्ट है कि गुजरात राज्य में दृष्टि विकलांग बालकों की संख्या 18,446, श्रवण विकलांग बालकों की संख्या 8,509, अस्थि विकलांग बालकों की संख्या 27,738, मानसिक विकलांग बालकों की संख्या 21,294 तथा बहु विकलांग बालकों की संख्या 1,543 है। सभी आंकड़ों को स्तम्भों की सहायता से दर्शाया गया है।

प्राप्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि गुजरात राज्य में सबसे अधिक 27,738 अस्थि विकलांग बालक हैं तथा सबसे कम 1,543 बहु विकलांग बालक हैं।

गुजरात के विद्यालयों में विकलांग बालकों के वर्गानुसार नामांकन की संख्या सन् 2004

तालिका क्रमांक -2

क्र.	गुजरात के जिले	दृष्टिहीनता विकलांग बालक	श्रवण विकलांग बालक	अस्थि विकलांग बालक	मानसिक विकलांग बालक	बहु विकलांग बालक	कुल योग
1	अहमदाबाद	817	285	952	1070	0	3124
2	अहमदाबाद संस्थान	1232	6	282	54	1	1575
3	अमरेली	488	221	1185	775	72	2741
4	आनंद	804	473	917	910	0	3104
5	बनासकाठा	1211	725	2416	1480	196	6028
6	भरूच	207	88	432	417	87	1231
7	भावनगर	511	474	873	757	0	2615
8	दाहोद	700	293	1643	426	35	3097
9	डांग	122	109	163	90	143	627
10	गाँधीनगर	359	133	641	610	77	1820
11	जामनगर	615	123	602	845	1	2186
12	*जूनागढ़*	*698*	*434*	*1255*	*1091*	*111*	*3589*
13	खेड़ा	1511	551	1130	1070	0	4262
14	कच्छ	472	288	867	668	65	2360
15	मेहसाना	496	210	1149	756	0	2611
16	नर्मदा	202	82	262	139	0	685
17	नवसारी	238	114	386	347	6	1091
18	पंचमहाल	737	395	1220	712	44	3108
19	पाटन	698	262	983	570	59	2572
20	पोरबंदर	90	41	124	125	31	411
21	राजकोट	777	128	763	728	127	2523
22	राजकोट संस्थान	89	1	138	28	2	258
23	साबरकाठा	757	330	1310	1155	83	3635
24	सूरत	407	181	540	406	63	1597
25	सूरत संस्थान	92	31	133	78	0	334
26	सुरेन्द्र नगर	808	316	1186	991	0	3301
27	बड़ोदरा	755	405	1200	866	0	3226
28	बड़ोदरा संस्थान	108	17	167	149	0	441
29	वलसाड	327	161	511	379	28	1406
	कुल योग	**16,328**	**6,877**	**23,430**	**17,692**	**1,231**	**65,558**

गुजरात के विद्यालयों में विकलांग बालकों के वर्गानुसार नामांकन की संख्या - 2004

ग्राफ -2

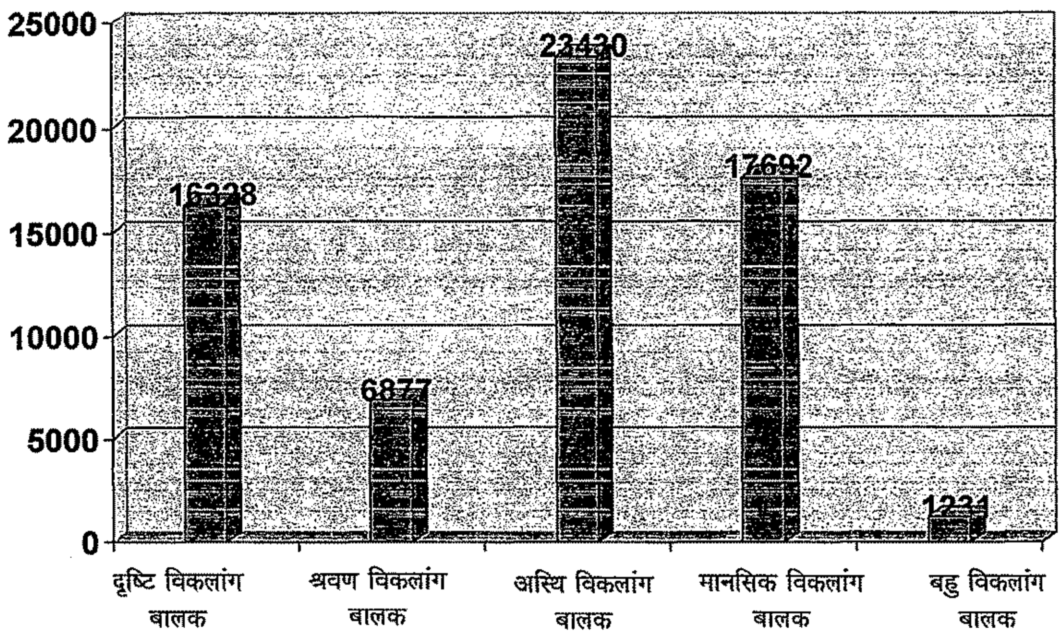

तालिका क्रमांक-2 प्रस्तुत ग्राफ की सहायता से गुजरात राज्य में सभी जिले के विद्यालयों में विकलांग बालकों के वर्गानुसार नामांकन की जानकारी दर्शायी गयी है गुजरात राज्य के विकलांग बालकों का कुल योग 65,558 है।

ग्राफ से स्पष्ट है कि गुजरात राज्य में सभी जिले में वर्गानुसार नामांकन में दृष्टिहीन विकलांग बालकों की संख्या 16,328 है, श्रवण विकलांग बालकों की संख्या 6,877 है, अस्थि विकलांग बालकों की संख्या 23,430 है, मानसिक विकलांग बालकों की संख्या 17,692 है एवं बहुविकलांग बालकों की संख्या 1,231 हैं प्राप्त आकड़ों से स्पष्ट है कि 23,430 अस्थि विकलांग बालकों का नामांकन हुआ है तथा इसमें सबसे कम बहु विकलांग बालकों का नामांकन 1,231 हुआ हैं।

पाई चार्ट- 1

जूनागढ़ जिले के विद्यालयों में विकलांग बालकों के प्रतिशत के अनुसार नामांकन सन- 2004

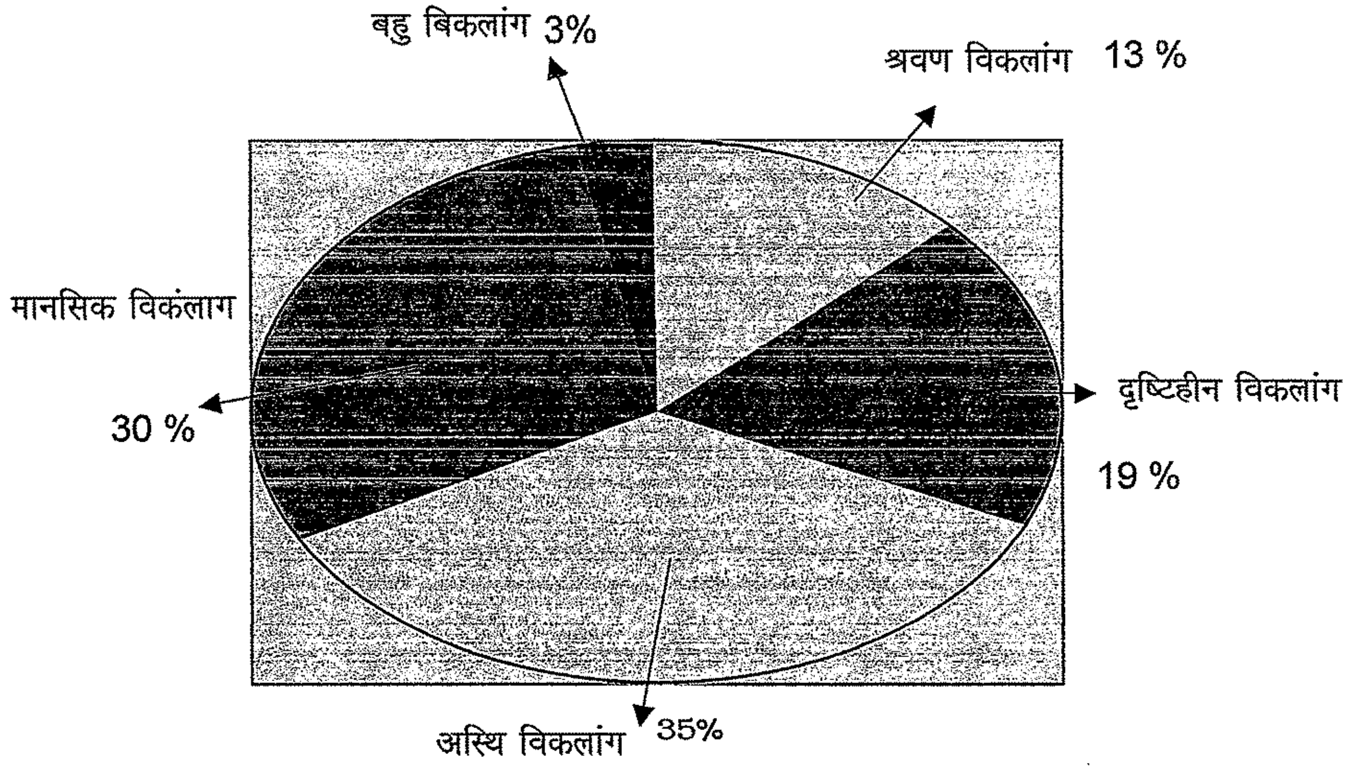

प्रस्तुत ग्राफ की सहायता से जूनागढ़ जिले के सभी विद्यालयों में विकलांग बालकों के वर्गानुसार नामांकन की संख्या का कुल योग 3,589 है।

ग्राफ से स्पष्ट है कि जूनागढ़ जिले के सभी विद्यालयों में दृष्टिहीन विकलांग बालकों की संख्या 19% है। श्रवण विकलांग बालकों की संख्या 13% है, अस्थि विकलांग बालकों की संख्या 35 % है, मानसिक विकलांग बालकों की संख्या 30% है और बहु विकलांग बालकों की संख्या 3% है ।

गुजरात के जिलों में विद्यालयों छोड़ने वाले विकलांग बालकों की वर्गानुसार नामांकन संख्या सूची सन्-2004

तालिका क्रमांक -3

क्र.	गुजरात के जिले	दुष्टिहीनता विकलांग बालक	श्रवण विकलांग बालक	अस्थि विकलांग बालक	मानसिक विकलांग बालक	बहु विकलांग बालक	कुल योग
1	अहमदाबाद	110	56	111	150	0	427
2	अहमदाबाद संस्थान	110	68	22	30	0	230
3	अमरेली	86	55	372	199	21	733
4	आनंद	120	77	159	120	0	476
5	बनासकाठा	88	87	384	189	45	793
6	भरूच	32	69	221	99	5	426
7	भावनगर	72	92	228	79	0	471
8	दाहोद	99	69	202	69	0	439
9	डांग	21	16	10	16	0	63
10	गाँधीनगर	88	47	127	354	29	645
11	जामनगर	59	8	69	92	0	228
12	*जूनागढ़*	*77*	*57*	*277*	*235*	*37*	*683*
13	खेड़ा	122	68	168	206	37	601
14	कच्छ	37	59	211	113	0	420
15	मेहसाना	24	42	151	92	0	309
16	नर्मदा	8	3	9	1	0	21
17	नवसारी	98	53	149	221	0	521
18	पंचमहाल	52	40	132	62	19	305
19	पाटन	15	14	36	40	2	107
20	पोरबंदर	36	17	62	68	10	193
21	राजकोट	50	46	105	120	25	346
22	राजकोट संस्थान	38	3	85	49	3	178
23	साबरकाठा	76	147	32	163	0	418
24	सूरत	166	176	446	270	70	1128
25	सूरत संस्थान	29	25	24	29	3	110
26	सुरेन्द्र नगर	192	108	244	313	0	857
27	बड़ोदरा	88	72	118	117	0	395
28	बड़ोदरा संस्थान	65	21	75	70	0	231
29	वलसाड	60	37	79	36	6	218
	कुल योग	**2,118**	**1,632**	**4,308**	**3,602**	**312**	**11,972**

ग्राफ-3

गुजरात के विद्यालयों छोड़ने वाले विकलांग बालकों के वर्गानुसार नामाकंन सन्- 2004

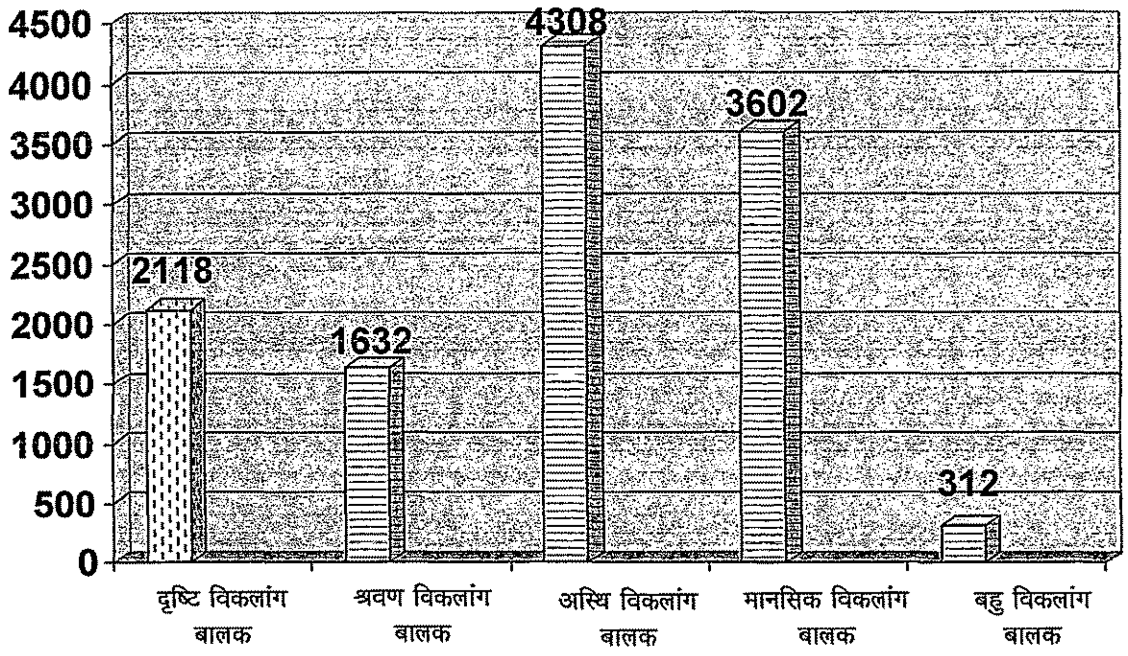

प्रस्तुत ग्राफ की सहायता से गुजरात राज्य के सभी जिलों में विद्यालय छोड़ने वाले विकलांग बालकों के वर्गानुसार नामांकन की संख्या दी गई है। गुजरात में विद्यालय छोड़ने वाले विकलांग बालकों के वर्गानुसार नामांकन का कुल योग 11,972 है।

ग्राफ से स्पष्ट है कि गुजरात राज्य के सभी जिलों में विद्यालय छोड़ने वाले दृष्टिहीन विकलांग बालकों की संख्या 2,118 है, श्रवण विकलांग बालकों की संख्या 1,632 है, अस्थि विकलांग बालकों की संख्या 4,308 है, मानसिक विकलांग बालकों की संख्या 3,602 है एवं बहुविकलांग बालकों की संख्या 312 है।

प्राप्त आँकड़ों से स्पष्ट है कि गुजरात राज्य में विद्यालयों छोड़ने वाले विकलांग बालकों में सबसे अधिक 4308 अस्थि विकलांग बालक है तथा सबसे कम शाला छोड़ने वाले 312 बहुविकलांग बालक है।

पाई चार्ट-2

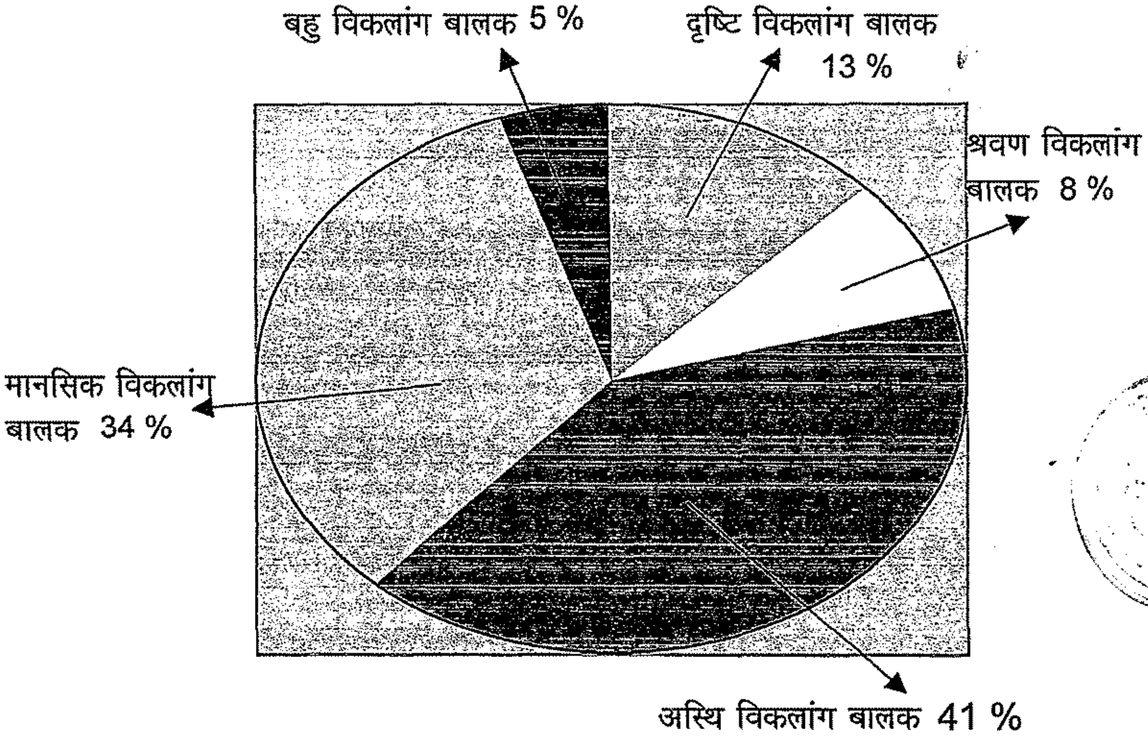

प्रस्तुत ग्राफ की सहायता से जूनागढ़ जिले के सभी विद्यालयों में विद्यालय छोड़ने वाले विकलांग बालकों के वर्गानुसार नामांकन का कुल योग 11,972 है।

ग्राफ से स्पष्ट है कि जूनागढ़ जिले में विद्यालय छोड़ने वाले दृष्टिहीन विकलांग बालकों की संख्या 13% है, श्रवण विकलांग बालकों की संख्या 8% है, अस्थि विकलांग बालकों की संख्या 41 % है, मानसिक विकलांग बालकों की संख्या 34%है एवं बहु विकलांग बालकों की संख्या 5% है।

1.6 निःशक्त व्यक्ति विकलांग अधिनियम (**P.W.D. ACT.**-1995)

इस अधिनियम को संसद द्वारा 12 दिसम्बर, 1995 को पारित किया गया तथा 7 फरवरी, 1996 को अधिसूचित किया गया इस अधिनियम का उद्देश्य निःशक्त व्यक्तियों को सुविधाएं, सेवाऐं प्रदान करने के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकार, स्थानीय निकायों का दायित्व निर्धारण करना है। जिसमें वे देश के उत्पादन व उपयोगी नागरिक के रूप में समान अवसर के लिए भागीदारी कर सकें। इस अधिनियम में निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों व सुविधाओं की सूची है तथा जो की प्रवर्तीत है।

विकलांग अधिनियम 1995 में निम्न बिन्दु बताएँ हैं।

- *प्रस्तावना:-*

  प्रथम अध्याय में अधिनियम में प्रयुक्त शब्दों की परिभाषाऐं दी गई हैं। विकलांगता का अर्थ नेत्रहीन, अल्प दृष्टि, कुष्ठ रोग मुक्त, श्रवण दोष, चलन अपंगता, मानसिक मंदता तथा मानसिक रोग है। निःशक्त व्यक्ति को किसी चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाए कि वह 40 प्रतिशत से कम निःशक्त नहीं है।

- *केन्द्रीय समन्वय समिति तथा कार्यकारणी समिति :-*

- केन्द्रीय सरकार, समाज कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय समन्वय समिति (के.स.स.) का गठन करेगी। इस केन्द्रीय समन्वय समिति में 39 सदस्य होंगे, जिसमें 24 सरकारी सदस्य तथा 15 सरकार द्वारा मनोनीत होंगे। जिसमें निःशक्तों से संबंधित गैर सरकारी संगठनों व संघों का प्रतिनिधत्व होगा।
- केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति, समन्वय समिति के निर्णयों का अनुपालन करेगी, कार्यकारी समिति की 3 माह में एक बार बैठक होगी। केन्द्रीय कार्यकारी समिति में 23 सदस्य होगें जिसमें विकलांगों से सम्बद्ध 5 व्यक्ति भी शामिल होगें।

- *विकलांगताओं की शीघ्र पहचान व निवारण :-*

- विकलांगताओं के अविभीत के कारणों से सम्बद्ध सर्वेक्षण जांच और अनुसंधान करना अथवा करवाना।
- विकलांगताओं के निवारण के विभिन्न उपायों को प्रोत्साहन देना।
- संभावित विकलांगता से संबंधित मामलों में पहचान के प्रयोजन से एक वर्ष में एक बार सभी बच्चों की जांच करना।
- विकलांगता के कारणों तथा अपनाए जाने वालें निवारक उपायों का टेलीविजन, रेडियो तथा अन्य माध्यमों से जन साधारण में जागरूकता पैदा करना।

- शिक्षा :-

- यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विकलांगता ग्रस्त प्रत्येक बच्चे को 18 वर्ष की आयु तक निःशुल्क व पर्याप्त शिक्षा मिल सके।
- विकलांगता ग्रस्त छात्रों को सामान्य स्कूलों में शामिल किया जाए जिन्हें विशेष शिक्षा की आवश्यकता है, उनके लिए सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में विशेष स्कूल स्थापित किया जाये तथा यह स्कूल विकलांगता ग्रस्त बच्चों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण से युक्त हो।
- 16 तथा अधिक आयु वर्ग के विकलांग बच्चों के लिए अंशकालिक साक्षरता कक्षा लगायेंगे तथा प्रत्येक विकलांग बच्चों के लिए निःशुल्क विशेष पुस्तकें तथा वांछित उपकरण (जिसमें ओपन स्कूलों की स्थापना तथा विश्वविद्यालय शामिल हैं) कि व्यवस्था करेंगे।
- सरकार विकलांग बच्चों को परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराएगी, स्कूलों कॉलेजों तथा अन्य संस्थाओं जो कि व्यावसायिक प्रशिक्षण और शिक्षा प्रदान कर रहे हैं वे वास्तुविधिय बाधाऐं हटायेगी।
- विकलांग छात्रों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान करेगी, विकलांग छात्रों के लिए पाठ्येत्तर कार्यकलापों की पुनर्सरक्षण करेगी।

- *रोजगार :-*

सरकार पहचान पर विकलांग व्यक्तियों के लिए पदों का आरक्षण करेगी, जो 3 प्रतिशत से कम नहीं होगा, जिसमें निम्नलिखित प्रत्येक विकलांगता को 1 प्रतिशत आरक्षण रहेगा।

1. अल्प दृष्टि या नेत्रहीनता
2. श्रवण दोष
3. चलन विकलांगता अथवा प्रमस्तिष्क घात।

विशेष रोजगार केन्द्रों की स्थापना की जाएगी, यदि किसी वर्ष में उपरोक्त रिक्तियों में से कोई नहीं भरी जाती है तो इस आगामी वर्ष में शामिल किया जाएगा।

- *अनसुंधान और मानव शक्ति विकास :-*

सरकार स्थानीय प्राधिकरण, विकलांगता निवारण, विकलांगों के पुनर्वास, सहायक यंत्रों के निर्माण, विकलांगों के लिए रोजगारों की पहचान, फैक्ट्रियों और कार्यालयों में विकलांग अनुकूल संरचना सुविधाएं, विकास को प्रोत्साहन देने के लिए प्रोत्साहन व प्रयोजन करेगी।

- *विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त और आयुक्त :-*

केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए विकलांग व्यक्तियों हेतु एक मुख्य आयुक्त की नियुक्ति करेगी। मुख्य आयुक्त विकलांग व्यक्तियों को उपलब्ध कराए गए धन के उपयोग को मॉनीटर करने में समन्वय आयुक्त का कार्य करेंगे तथा

इस अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में केन्द्रीय सरकार को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

- *विविध :-*

जो भी व्यक्ति विकलांग व्यक्तियों के लिए निर्धारित लाभों को उठाने के लिए धोखें का प्रयास करेगा, उसे दो वर्ष के लिए कारावास तथा 20,000 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया जाएगा। सरकार को इस अधिनियम के कार्यान्वयन के मुख्य आयुक्त, अधिकारी व कर्मचारी लोक सेवक माने जाएंगे।

1.7 समेकित शिक्षा क्यों ?

विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की धारणा का उद्देश्य समानता के सिद्धान्त में निहित है, तथा इसका विस्तार विशिष्ट विद्यालयों के विरूद्ध तर्कपूर्ण आरोपों के साथ हुआ। विशिष्ट विद्यालयों के पक्ष में विचार करने के पूर्व यह सोचना होगा कि क्या ?

- सभी विकलांग बालकों को विशिष्ट विद्यालयों में शिक्षा दी जा सकती है ?
- क्या देश के हर क्षेत्र में विशिष्ट विद्यालय खोले जा सकते हैं ?
- क्या विशिष्ट महाविद्यालय में विद्यार्थी समाज द्वारा दी जाने वाली चुनौतियों का सामना करने में समर्थ होंगे।
- क्या विशिष्ट विकलांग विद्यार्थियों को प्रवेश देकर हम इन्हें समाज से पृथक करके पृथकता का वातावरण निर्मित नहीं करेंगे।
- क्या हम इन बच्चों में "अन्य सबसे अलग" होने की हीन भावना का जन्म नहीं होने देंगे।

1.7.1. समेकित शिक्षा का उद्देश्य

उपरोक्त प्रश्नों का जवाब है- "विकलांग बच्चों की शिक्षा समेकित हो जो आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुकूल है किन्तु समेकित शिक्षा की व्यवस्था विकलांगता के स्वरूप व आवश्यकता के अनुसार निश्चित की जाएगी, इसका तात्पर्य यह नहीं है, कि अति गम्भीर बच्चों की सामान्य बच्चों के साथ समेकित शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा प्राप्त करेंगे।

सामान्य विद्यालय में अध्ययन करके विकलांग बच्चों को अपनी विकलांगता के कारण भविष्य में समाज द्वारा दी जाने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिये तैयार होना है। समेकित शिक्षा द्वारा विकलांग बालक शिक्षा प्राप्त करके जीवन निर्वाह करने योग्य बन जाते हैं तथा समाज पर बोझ नहीं बनते, जिससे सामाजिक समस्या भी समाप्त हो जाती है।

सामान्य विद्यालय में अध्ययन करने से विकलांग बच्चे माँ-बाप के साथ रहते हैं, जिससे उनका भावनात्मक विकास सामान्य बच्चों के समान होता है। इस प्रकार सामान्य विद्यालय में अध्ययन करने से विकलांग विद्यार्थियों के सामाजिक, भावनात्मक,

ज्ञानात्मक, अर्थात स्वाभाविक शक्तियों का पूर्ण विकास होता है।

फिश (1989) के अनुसार, " यह पूर्ण रूप से सम्भव है कि सामान्य बच्चों का विकलांग बच्चों के साथ मानसिक संबंध उनके सकारात्मक संबंधों के साथ सकारात्मक अभिव्यक्ति को भी विकसित करेगा।"

यदि विकलांग बच्चों में संबंध सकरात्मक हैं तो विकलांग बच्चों के सामाजिक , भावनात्मक, गुणों का विकास होना है, यदि नकारात्मक संबंध हैं, तो उन परस्थितियों में रहते हुए समेकित शिक्षा विकलांगों की शिक्षा का एक सुनहरा सपना बनकर रह जायेगी।

1.7.2 समेकित शिक्षा की शुरूआत

समेकित शिक्षा में अद्वितीय विकास हुआ है जो कि गुजरात राज्य में 'निवासी शिक्षा' की स्थापना के कारण यह संभव हो सकता है कि शिक्षा के प्रत्येक प्रकार को सभी तक पहुँचाया जा सके। ऐसा देखने में आया है कि सरकार ने मिल जुलकर काम करने से यह 'बढ़त' हासिल की अर्थात 'निवासी शिक्षा' की स्थापना में सरकार विविध संस्थायें एन.जी.ओ. का प्रमुख योगदान रहा। सभी योजनाओं को सही दिशा व योग्यता अनुसार उसका इस्तेमाल किया जाये तभी 'निवासी शिक्षा' के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं यह लक्ष्य विशाल *' मिलेनियम फ्रेमवर्क '* में रखा गया है।

सत्यता यह है कि बहुत सारी योजनायें इसी दिशा में कार्य कर रही हैं परंतु उनमें न तो गुणात्मक और ना ही संख्यात्मक क्षेत्र तक पहुँचने की कोशिश की गयी है जबकि यह विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिये आवश्यक हो। अभी इस दिशा में जो प्रोजेक्ट योजनायें चलायी जा रही हैं तथा उनका विस्तार जिस प्रकार किया जा रहा है उस हिसाब से वह कभी *'मिलेनियम फ्रेमवर्क '* द्वारा निर्धारित किये गये लक्ष्यों को प्राप्त नही कर सकेंगे। कुछ क्षेत्रों में बालक की विशेष शिक्षा से संबंधित शिक्षा में गुणात्मक सुधार आया है। फ्रेमवर्क के कुछ बिंदुओं को लेकर शिक्षा के क्षेत्र में सुधार किये गये हैं परंतु यह प्रत्येक प्रकार के बालकों के लिये उनकी आवश्यकतानुसार शिक्षा नहीं दी जा रही है। .इसके लिय अनिवार्य है कि इस हेतु चल रही योजनाओं की प्रक्रियाओं को नियंत्रित रखने हेतु एक ढाँचा तैयार किया जाये, इसके लिये पर्याप्त मात्रा में मशीनी यंत्रों की जरूरत है। अलग-अलग संस्थाओं में नीति को स्वीकार करने की जरूरत है तथा राज्य में अलग-अलग स्थानों पर कार्यरत संस्थाओं में भी सही नीति को देखना व समझना जरूरी है तभी इस शिक्षा को शैक्षणिक शिक्षा के क्षेत्र में एक नई दिशा प्रदान की जा सकती है तथा इसके महत्व को बढ़ाया जा सकता है।

शिशु विद्या मंदिर से ऐसे बालकों को अपने संस्थान में स्थान दिया जा रहा है। जिनकी विशेष शैक्षणिक आवश्यकतायें हैं तथा उनके छात्रावास में रहने का प्रबंध भी किया गया हैं। यह संस्था इस दिशा में अद्वितीय कार्य कर रही है तथा इस संस्था में 100 से ज्यादा लड़के व लड़कियों को व्यवस्थित रूप से शिक्षा प्रदान की जा रही है।

1.7.3 गुजरात में समेकित शिक्षा की शुरूआत :-

गुजरात में समेकित शिक्षा का दौर सन् 1981 में शुरू हुआ उस समय केवल 11 बच्चे थे, यह शुरूआत पिछ्डों की अनुदानित संस्थाओं की सहायता से शुरू की गयी थी। भारत सरकार ने इस दिशा में सही कदम उठाये हैं। 1986 में और उसी साल अनुदान की राशि के तौर पर 65,000/- रूपये उन बालकों की शिक्षा के लिये जो कि दृष्टिहीन बालकों को समेकित शिक्षा योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराया गया।

आज लगभग 17 साल के बाद वह छोटा सा आंकड़ा 4,500/- गुना बढ़कर पहले की राशि की तुलना में अब 105 लाख हो गया है।

विशेष प्रकार के बालकों की शिक्षा के अंतर्गत आज गुजरात में लगभग 77,526 बालक समेकित शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और उसे पूर्णतः *मानव संसाधन विकास मंत्रालय* तथा *शिक्षा विभागाध्यक्ष* कर रहा है। आज इसके द्वारा दृष्टिहीन से बढ़कर अन्य सभी प्रकार की विकलांगता तक पहुँच चुका है।

इस दिशा में दुबारा देखने के लिये समाज सुरक्षा विभाग तथा उनके अधिकार इसके लिये गुजरात सरकार में राज्य स्तर पर उच्च्व योजनायें शुरू की हैं। इसमें प्रमुख स्थान सामुदायिक आधारित 'निवासी शिक्षा' (सी.आर.बी) कार्य कर रही है और उनका लक्ष्य है कि 2008 तक सभी प्रकार के विकलांग बालकों को विशिष्ट शिक्षा तथा उनके अधिकार मिलना चाहिए। इस बढ़ोतरी हेतु समेकित शिक्षा तथा सी.आर.बी. महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। इस बड़े क्षेत्र को चलाने के लिये 'निवासी शिक्षा' की मदद मिल रही है, यह बढ़ोतरी मिलने का कारण अच्छा परीक्षण तथा समेकित शिक्षा का विस्तार व सही सर्वेक्षण होना है, तथा सतत् शैक्षणीक क्रियाओं की उपलब्धता उस क्षेत्र में होने के कारण मिली है। यह निवासी शाला अब समेकित शिक्षा के लिये संसाधनों के अधिकारों के रूपों में परिवर्तित हो रही है तथा समेकित शिक्षा योजना भी अब स्थायी रूप से एन.जी.ओ. की मदद से चलायी जा रही है तथा उनके मार्गदर्शन व परीक्षण के लिये जी.सी.ई.आर.टी. उससे संलग्न संस्थायें तथा प्राथमिक शिक्षा विभाग गुजरात सरकार कार्य कर रही है।

1.8.0 समस्या कथन

समेकित शिक्षा के संदर्भ में जूनागढ़ जिले के विशेष विद्यालयों का अध्ययन।

1.8.1 अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व

प्रस्तुत अध्ययन में विकलांग बालकों के लिये स्थापित विशेष प्रकार के विद्यालयों का अध्ययन करना चाहते हैं। हमारे देश में करीब 25 लाख अंधे, लंगड़े-लूले, गूँगे-बहरे, तथा अविकसित मस्तिष्क वाले बालक हैं। विकलांग बालकों की उचित शिक्षा के लिए उन्हें समस्त सुविधाओं से युक्त पृथक विद्यालय में रखा जाता है। जिसमें इनकी शिक्षा के लिये विशेष प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है किसी भी प्रकार की विकलांगता चाहे वह शारीरिक हो अथवा मानसिक उन्हें सामान्य कार्य करने से रोकती है अथवा प्रभावित करती है जिससे ये न सुखी जीवन व्यतीत कर पाते हैं और न अपने व्यक्तित्व को संतुलित कर पाते हैं तथा हीन भावना से ग्रसित हो

जाते हैं। समाज इन्हें सहानुभूतिपूर्ण रवैये से देखता है तथा अधिकतर इन्हें नजर अंदाज कर देता हैं जिस कारण यह अपनी क्षमताओं को पहचानकर उनका सदुपयोग नहीं कर पाते अथवा हमेशा निराशापूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं।

भारत देश में विकलांग बालकों की संख्या सर्वाधिक है इनकी समस्याओं को पहचानकर देश में इनकी शिक्षा हेतु विशेष प्रकार के विद्यालयों का प्रबंध किया गया है जहाँ इनकी क्षमताओं को पहचानकर उससे संबंधित क्षेत्र में आगे आने हेतु प्रेरित किया जाता है परंतु इन विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार की है तथा सभी विकलांग बालकों का उचित ध्यान रखा जाता है या नहीं यह देखना आवश्यक है। विकलांग बालकों को अपने जीवन में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है विकलांगता चाहे कितनी भी निम्न स्तर की हो सामान्य व्यक्तियों में उसके प्रति दृष्टिकोण कुछ-हद तक नकारात्मक ही रहता है इसके लिये आवश्यक है कि विकलांग बालकों को स्वप्रेरित करने के अवसर दिये जायें जो कि उन्हें आस-पास के वातावरण में तथा विशेष शिक्षकों तथा स्वयं की क्षमता को पहचानने से ही मिल सकते हैं।

स्वयं एक विकलांग होने के कारण मैंने अपने जीवन में अनेक परेशानियों का सामना किया, परंतु आज मैं सामान्य बालकों के साथ अध्ययन कर रहा हूँ इस स्तर तक पहुँचने में मुझे मेरे परिवार, शिक्षक व मित्रों सभी का सहयोग मिला परंतु साथ ही मैंने अपनी क्षमताओं को पहचाना तथा कमियों को दूर किया।

प्रस्तुत अध्ययन में ये देखना चाहता हूँ कि विशेष प्रकार के विद्यालय जो विकलांग बालको की शिक्षा हेतु स्थापित किये गये हैं वहाँ उन्हें सुविधायें किस स्तर की दी जा रही हैं। विशेष शिक्षा वाले शिक्षकों की उपलब्धता तथा बालकों की स्वप्रेरित करने हेतु कैसी परिस्थितियाँ प्रदान की जा रही हैं तथा उनमें क्या सुधार देखने को मिला है इन सभी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करना आवश्यक है अतः प्रस्तुत अध्ययन समेकित शिक्षा के लिये स्थापित विशेष प्रकार के विद्यालयों की स्थिति जानने हेतु किया गया है जो कि विकलांग बालकों की शिक्षा हेतु विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। विकलांग बालकों की उचित शिक्षा व्यवस्था करने के लिये यह व्यक्तिगत दृष्टिकोण है।

1.9. पदो व संकल्पनाओं की परिभाषा

समेकित शिक्षा

समेकित शिक्षा का अर्थ प्रक्रिया से है जिसका उद्देश्य विकलांग बच्चों को समान अवसर और पूर्ण भागीदारी प्रदान करने के लिये उपयुक्त माहौल बनाना है, ताकि उनमें आत्मविश्वास जाग्रत हो सके।

1.10. उद्देश्य

1. विशेष विद्यालयों की गतिविधियों का अध्ययन करना।
2. विशेष विद्यालयों की भौतिक सुविधाओं का अध्ययन करना।
3. विशेष विद्यालयों मे दी जा रही व्यावसायिक प्रशिक्षण का अध्ययन करना।
4. मानसिक एवं शारीरिक विकलांग बालकों पर समेकित शिक्षा के प्रभाव का अध्ययन करना।
5. दृष्टिहीन एवं श्रव्य और वाणि क्षतिग्रस्त बच्चों पर समेकित शिक्षा के प्रभाव का अध्ययन करना।

1.11. परिकल्पना

1. विशेष विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं की कमी है।
2. विशेष विद्यालयों में विकलांग बालकों के लिये व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था उचित नहीं है।
3. विशेष विद्यालयों में चल रही गतिविधियों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है।

1.12 सीमाकंन

1. प्रस्तुत अध्ययन सभी प्रकार के विकलांग बालकों के लिये स्थापित विशेष विद्यालयों तक सीमित हैं।
2. प्रस्तुत अध्ययन गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले में स्थित विशेष विद्यालयों तक सीमित हैं।
3. प्रस्तुत अध्ययन जूनागढ़ जिले के विशेष विद्यालयों तक सीमित हैं।